13.35 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER IN THE CHAIR]

DELHI DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): Sir, I beg to move:*

"That the Bill to amend the Delhi Development Act, 1957, be taken into consideration."

This amending Bill is a very innocent Bill to the best of my understanding. There are in it certain provisions relating to land acquisition procedure. In actual practice land was acquired by the Government under the provisions of the normal land acquisition laws. This was done in order to give better compensation to the people whose lands were acquired. None of the provisions relating to the acquisition of lands were ever utilised and practically all the lands that were needed have already been acquired. As such those provisions which are redundant and which have never been utilised are proposed to be struck off. Apart from that there is in clause 4 a provision that the DDA shall constitute an advisory council for the purpose of advising the Authority on the preparation of the master plan and zonal development plans. As zonal plans will be basically a replica of the land use plan of the Master Plan with some more internal details, there will be hardly any need to consult the advisory council. The object now is to confine the attention of the council to specific matters considered fit for such consultations in regard to preparation of zonal development plans.

There is no provision in the Act at present permitting the setting up of committees of the Authority to deal with specific matters. It is proposed to make a new provision authorising the Authority in this behalf. It is further proposed that such committees may consist of any of the members of the Authority as also any person or persons appointed by the Authority by virtue of expert knowledge and experience. This is the change proposed in clause 5.

Sub-section 2 of section 7 of the present Act could be construed as limiting the content of the Master Plan to the matters specified therein and to preclude inclusion of any other items that may be considered desirable or necessary. The proposed amendment is to widen its scope by providing that the Master Plan may provide for any other matter which is considered necessary for the proper development of Delhi.

In clause 7, under the provisions of the present Act, the Master Plan has become a very rigid document. As the Act does not provide any easy procedure for the sanctioning of any deviations which may be considered necessary. As in the process of actual development, minor changes will be inevitable, unless they can be expeditiously carried out, the the actual work of development would be greatly hampered from time to time. It is, therefore, proposed to add a new section to provide for the sanction by the Delhi Development Authority of modifications to the Master Plan or the zonal development plans which are not of a substantial nature and which involve no change in the land uses, population density, etc. However, the DDA will be required to report to the Central Government any change sanctioned by it under this power.

In clause 8, what is going to be done is this. The Delhi Development Act, 1957 requires that no declaration of development areas shall be made by the Central Government except after consultation with the Delhi Development Authority and the Municipal Corporation. As this leads to abnormal delays, it is proposed that

*Moved with the recommendation of the President.

[Dr. Sushila Nayar]

a provision should be made empowering the Government to declare any area in Delhi as a development area if it is satisfied that this should be done, if the views of the Municipal Corporation of Delhi or the DDA are not received within 30 days of a reference having been made to them. Otherwise, the reply may not be received for a long time, and nothing can be done before receiving the replies. Now, a period 30 days has been given within which they can send a reply.

Then I come to clauses 9 and 10 and provision for acquisition of land made in sections 15 to 20. I have already mentioned that we are deleting this provision as it has neither been used nor is likely to be used in the future.

Then I take up clause 11. According to the scheme of acquisition of land for planned development of Delhi and dipsosal of such land after acquisition, it is intended to place at the disposal of the Delhi Development Authority a large area out of the acquired land under the provisions of this Act. Some portions of this land might fall in the developed areas and some in the non-developed areas. In view of the provisions of sub-section (2) of section 12, there will be difficulty in the absence of a provision of the Act, in the way of the DDA carrying out development of land in the non-development area. For instance, there may be need for a slight widening of the road in the non-developed areas. At the present time, the DDA is not competent to carry out that work in the non-developed areas or spend money on it. If it is required to do it in the interests of development, it will be useful if the Authority could spend money and get it done rather than depend upon the Corporation or the Municipal Committee and keep on writing to them. Therefore, the powers are being taken that if necessary, the development work could be carried out by the DDA in non-development areas. We propose to remove this defect by making a suitable amendment to section 22 to enable the DDA to undertake works of development on lands placed at the disposal of the Authority under section 22, even though they do not fall in a development area.

In clause 12 what we seek to do is this. There is no provision in the Act enabling the Authority to borrow money from any source except the Central Government. It is proposed to authorise the DDA to borrow money from sources other than the Central Government by way of loans or debentures on such conditions as may be approved by the Central Government. This will help the Authority to take loans from the market should it be necessary for any particular purpose or loans from the LIC and the like.

Then about clause 13, provision is to be made laying down that contravention of any terms and conditions about the use of any land or building would constitute a continuing offence, that is, where the contravention was not removed after the first conviction, the offender would be liable to the punishment with further fine which might extend to Rs. 250 for each day during which such offence is continued.

With regard to clauses 14 and 15, the existing provisions of sub-section (1) of section 30 and sub-section (1) of section 31 are restricted to erection of any building in any development area. The powers conferred thereby cannot be used, for example, to get an unauthorised laying out of road or digging of a tank, etc., removed or stopped. We can stop an unauthorised building but if somebody puts up an unauthorised road, it is not possible. Supposing they dig a tank in a place where they should not, we cannot stop them. Now, powers are sought to be taken to take care of

this also. This will empower the Administrator to have such unauthorised development stopped or removel.

Then I come to clause 16. The proposed sub-section (1A) of section 30 and sub-section 3 of section 31 of the Bill provide for the framing of the rules by the Central Government for prescribing the procedure which the Administrator of the Union Territory of Delhi will be required to observe before taking any action thereunder. The proposed amendment under clause 16 is, therefore, of a consequential nature.

Then I come to clause 17. Provision is proposed to be made for the service of the notice on the person who may be found to be carrying out the development under objection in addition to the service of notice on the owner of the land. There is the possibility that the owner of the land and the person providing the amenity or undertaking the development may be different. Otherwise, we had only one, but it is possible that the two may be different. So we are making a distinction.

Then there are other changes which are more or less of a minor nature. For instance the Vice-Chairman was a whole-time man. Now, we have said that it may be possible to give him some other duties and responsibilities if necessary.

With these words, I would commend this amending Bill for the consideration of the House.

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That the Bill to amend the Delhi Development Act, 1957, be taken into consideration."

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली दफा सन् १६५७ में जब यह बिल सदन के सामने आया था तो उस समय गृह मंत्री श्री दातार ने इस सदन को समझाया, जब कि सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि दिल्ली के विकास का कार्य कारपोरेशन को देना चाहिये, कि दिल्ली कारपोरेशन विकास के काम को नहीं कर सकता। इस लिये उन्हों ने दिल्ली डेवेलपमेंट अथारिटी का निर्माण किया और उस के सम्बन्ध में सन् १६५७ में कानून पास किया गया। यह बात सही है कि दिल्ली का विकास होना चाहिये। इस में कोई दो रायें नहीं हैं। दिल्ली हिन्दुस्तान की राजधानी है और उस को खराब हालत में नहीं रक्खा जा सकता लेकिन उस समय भी सदस्यों ने कहा था और मेरी आज भी यह राय है कि दिल्ली कारपोरेशन को यह काम न दे कर अगर एक नई संस्था का निर्माण किया जायेगा, जोकि कारपोरेशन से भी अधिक शक्तिशाली हो, तो उस से विकास के काम में कोई प्रगति नहीं होगी, बल्कि बाधायें उत्पन्न होंगी क्योंकि दिल्ली के लोगों की आम तौर से यह इच्छा थी कि दिल्ली के लिये कोई एक ऐसी बाडी या संस्था हो जो कम से कम असेम्बली के दर्जे की हो, जिस को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। मैं समझता हूं कि इस बिल को लाने के बाद जिस तरह से उस को अमेंड किया गया है उस से दिल्ली की जनता को काफी नुक्सान पहुंचेगा और जिस अथारिटी के हाथ में पावर दी जा रही है उन लोगों की वजह से जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी।

पहली चीज तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने कई कमेटियां बनाईं। दिल्ली विकास बोर्ड बनाया गया, भोर कमेटी बनाई गई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, बिड़ला कमेटी बनाई गई, और भी बहुत सी कमेटियां इस विकास के मामले में सुझाव देने के लिए बनाई गईं। सब ने एकमत हो कर कहा कि दिल्ली कारपोरेशन को यह अधिकार होना चाहिये, लेकिन उस समय यह बहाना बनाया गया कि दिल्ली कारपोरेशन के पास खुद ही इतना काम है कि वह दिल्ली के विकास का काम नहीं कर

[श्री सरजू पाण्डेय]

सकता । दिल्ली में मकानों की भारी समस्या है, दिल्ली में रोड्स की, पानी की, बिजली की, सभी तरह की समस्यायें हैं । लेकिन दिल्ली की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखते हुए इसके विकास की जरूरत है । इसके के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिये ।

जहां तक दिल्ली डेवेलपमेंट आथरिटी का सम्बन्ध है इसकी पिछली बार इसी सदन में लोगों ने बहुत शिकायतें की थीं, इस पर यह आरोप लगाया गया था कि इसने सस्ते दामों में जमीन ली और महंगे दामों पर बेची । इसके साथ इस आथारिटी ने गैर कानूनी तौर पर भी मकान बनने दिये । एक सदस्य ने तो यहां तक कहा था कि इन गैर कानूनी मकानों के बनने के लिए अधिकारियों को पकड़ा जाय और उन के खिलाफ कार्रवाई की जाय । यह तो नहीं हुआ लेकिन उन मकानों को गिराने का दूसरा कानून इस सदन में लाया गया है और अब लोगों को जबरदस्ती उजाड़ा जायगा । जिन ओवरसियरों और इंजिनियरों ने रुपया घूस ले कर इन मकानों को बनने दिया उनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया, उन बेचारे शरणार्थियों की परेशानी बढ़ा दी गयी जोकि दुर्भाग्य से यहां आए थे । और इस बिल के जरिए, जो उन के लिए रहा सहा रास्ता है, उस को भी बन्द किया जा रहा है ।

आज भी दिल्ली में मकानों की इतनी कमी है कि लोग सड़कों पर सोते हैं । यहां पानी और बिजली की बड़ी दिक्कत है । और अगर आप पुरानी दिल्ली में चले जायें तो आपको मालूम होगा कि नरक में आ गए । वहां कोई विकास नहीं किया गया है । दिल्ली के विकास के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनका कोई विकास नहीं होता । उस रुपये से माडल टाउन बनाए जाते हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली में जहां पर नरक का साम्राज्य स्थापित है, इस दिल्ली डेवेलपमेंट आथारिटी ने कुछ नहीं किया है । अब नई आथारिटी आ रही है । मैं समझता हूं कि उसका भी वही हाल होगा ।

पिछले बिल की धारा १६ से २०, जिन में सरकार को पावर थी जमीन एक्वायर करने की, उनको इस बिल में से हटा दिया गया है । इसमें धारा १५ में कहा गया है :

> "If in the opinion of the Central Government, any land is required for the purpose of development, or for any other purpose, under this Act, the Central Government may acquire such land under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894."

सन् १९५७ वाले बिल में व्यवस्था थी कि जिसकी जमीन ली जाय उसको रिप्रेजेंट करने का अधिकार था, उस बिल में मुआवजे की भी व्यवस्था थी । इस बिल के जरिये उसको उड़ा दिया गया है । इसलिए इसमें पिछले बिल की १६ से २० धाराएं निकाल दी गयी हैं । इस प्रकार गरीबों की जमीन छीनने का एक और अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है । इस का नतीजा यह होगा कि जिन के चाहेगी सरकार मकान ले सकेगी । लैंड एक्वीजीशन क्या है एक तमाशा है । जिस की जमीन ली जाती है, उसको मालूम भी नहीं होता कि उसकी जमीन ले ली गयी । दीवारों पर नोटिस लगा दी जाती हैं । इसी कारण तो पिछले सेशन के दौरान गाजियाबाद के किसान यहां आए थे । इस कानून का नतीजा यह होगा कि आज जिन लोगों की छोटी छोटी झोंपड़ियां हैं उनको उजाड़ा जायगा । वे प्रदर्शन करते, झगड़े करते, तीन-तीन दिन तक प्रधान मंत्री के दरवाजे बैठे रहे और मांग मांग कर खाते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई । और इस जमीन को एक्वायर करके उस पर बड़े बड़े महल खड़े किए जाते हैं । सरकार समाजवाद की और ऊंचे ऊंचे आदर्शों की बात करती है, लेकिन जो गरीब

लोग हैं और जो इन महलों को बनाते हैं, उनके लिए सड़क पर सोने तक की व्यवस्था नहीं है। डेवेलपमेंट के नाम पर हम गरीबों को उजाड़ कर दिल्ली का डेवेलपमेंट कर रहे हैं। इसमें कहीं प्रावीजन नहीं है कि जिनकी जमीनें छीनी जायें या जिनको जबरदस्ती उनके मकानों से निकाल दिया जाय वे कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें यह रियायत की गयी है कि लोगों को दिन में निकाला जायगा। सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले नहीं निकाला जायगा। और जिस तरह की हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसको देखते हुए उसको इतने अधिकार देना जनता के साथ बड़ी ज्यादती होगी।

जिनकी जमीन एक्वायर की जायगी उनको इस बात का पूरा मौका नहीं होगा कि वे कारण जान सकें कि उनकी जमीन क्यों एक्वायर की गयी है। अगर मुआवजे के मामले में ज्यादती हुई है तो उसके लिए वे कुछ नहीं कर सकते। अदालतों में झूठी कारंवाइयां कर के लोगों की जमीन एक्वायर की जाती है। मैं समझता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री को इस पर फिर से विचार करना चाहिए, और जो जमीन एक्वायर करने का कानून उन्हों ने बनाया है उसको फिर से तरमीम करना चाहिये और लोगों को इस बात का अवसर देना चाहिए कि वे इस मामले में चाराजोई कर सकें।

इसके अलावा जो दिल्ली डेवेलपमेंट की नई आथारिटी में लोगों की नियुक्ति का विधान है, मैं समझता हूं कि यह भी बहुत अप्रजातांत्रिक है। पिछली दफा भी इसमें सरकार के नामिनी काफी थे। उनको और बढ़ा देने से और उनको और अधिकार दे देने से मैं समझता हूं कि दिल्ली का विकास नहीं होगा बल्कि उससे दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जायेंगी। इसलिए मैं इस बिल का उस समय तक समर्थन नहीं कर सकता जब तक कि इस में से वे धारायें जिनसे जनता को नुकसान हो सकता है न निकाल दी जायें।

इसकी धारा ६ में कहा गया है, पेज ६ पर :

"(6) No compensation shall be claimable by any person for any damage which he may sustain in consequence of the removal of any development under section 30 or the discontinuance of the development under this section."

यानी जनता किसी तरह का कोई डेमेज क्लेम नहीं कर सकती। पहले अधिकारियों ने अनआथोराइज्ड मकानों को बनवाया, और अब उनको उजाड़ा जायगा। इस कानून का मतलब होगा कि सेक्रेटरी आदि जो चाहेंगे कर सकेंगे। आज कल हाल यह है कि सेक्रेटरी आदि जो लिख देते हैं उस पर मिनिस्टर दस्तखत कर देते हैं। मिनिस्टरों को पता नहीं कि इन कानूनों का क्या नतीजा निकलना है। ऐसा कानून बना दिया गया कि कोई डेमेज क्लेम नहीं कर सकता। और इस राज्य में डेमेज क्लेम करना भी तो आसान नहीं है। जितना रुपया डेमेज का मिलेगा उतना ही उस को कोर्ट फीस आदि में लगाना पड़ता है। लेकिन इस में यह प्रावीजन कर दिया कि डेमेज ही क्लेम नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि यह अख्तियार देना ठीक नहीं है। इसमें बीसियों ऐसे क्लाज हैं। क्लाज ३७ में पेज १० पर कहा गया है :

"37 (1) Where, in the opinion of the Authority, as a consequence of any development having been executed by the Authority in any development area, the value of any property in that area or in any area other than the development area, which has been benefited by the development, has increased or will increase, the Authority shall be entitled to levy upon the owner of the property or any person having an interest therein a betterment

[श्री सरजू पाण्डेय]

charge in respect of the increase in value of the property resulting from the execution of the development:"

इसमें लिखा है कि अगर आथारिटी की समझ में आयगा, उनकी समझ में तो ये बातें बहुत जल्दी आ जाती हैं । हिन्दुस्तान की ब्यूरोक्रेसी तो हृदय हीन है, उसको इन बातों को समझने में देर नहीं लगती । उनके हृदय नहीं होता, उनको जनता का मुकाबला नहीं करना पड़ता । जनता का मुकाबला तो मिनिस्टर को करना पड़ता है, और वह भी पांच साल में एक बार । इन हृदयहीन अधिकारियों को जनता को सताने में मजा आता है । आप इस शहर में देख सकते हैं कि किस प्रकार कारपोरेशन के सिपाही छोटे लोगों को, केले वालों आदि को तंग करते हैं । वे बेचारे भाग भाग कर नालियों में गिरते हैं । पुलिस को दया नहीं है, उन्होंने तो जनता को लूटा है, और वही खून आज भी उनके मुंह में लगा हुआ है ।

आप देखिये कि जब यह आथारिटी कनविंस हो जायगी तो उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता । और इन का कनविंस हो जाना आसान है । अगर वह कनविंस हो जायेंगे तो किसी भी मकान पर या प्रापर्टी पर लेवी लगा देंगें कि इसकी कीमत बढ़ गयी है । इस का फैसला यही आथारिटी करेगी कि मूल्य बढ़ गया है । इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्रजातंत्र के युग में इस प्रकार का दूसरा तंत्र लाना मुनासिब नहीं होगा । इस से कोई फायदा नहीं होगा । या तो दिल्ली कारपोरेशन को खत्म कर दीजिए और इस आथारिटी को सब पावर दीजिए । और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपको चाहिए इस प्रकार के क्लाजेज को अमेंड कर दें जिस से कि लोगों को इस क़िस्म के हैरेसमेंट के करने का पूरा मौक़ा हो और उस हालत में प्रदर्शन होंगे, झगड़े होंगे और संसद् भवन पर आ कर लोग धरना देंगे । अनेकों मुसीबतें पैदा होंगी । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल में इस तरह की धाराओं को तबदील किया जाय जोकि आपत्तिजनक हैं । दिल्ली के विकास के नाम पर दिल्ली के ग़रीबों की हत्या करने का मैं पक्षपाती नहीं हूं । बस मुझे इतना ही निवेदन करना है ।

Shri Shiv Charan Gupta (Delhi Sadar): Mr. Deputy-Speaker, Sir generally I support this Bill because it has removed many difficulties of the Delhi Development Act and has thus tried to smoothen the working of the Delhi Development Act. But I have to mention one or two points.

One is, in this Bill a clause has been added to increase the number of official representatives from 2 to 3. I will urge upon the Minister to consider the desirability of adding one more representative of the Delhi Advisory Committee of the Home Ministry. At present there are two representatives, one from the Lok Sabha and the other from the Rajya Sabha. It will be proper that more representatives of the people are associated with the work of the Delhi Development Authority as that authority is now engaged on the development of Delhi according to the Master Plan prepared by it.

श्री रामेश्वरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में इस समय गणपूर्ति नहीं प्रतीत होती है ।

Mr. Deputy-Speaker: The Bill is being rung.

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, इस हाउस का एक रिवाज रहा है कि एक और ढाई बजे के बीच कोरम का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि सब लोग यहां बाहर बैठे रहते हैं । अगर मैं आप की मार्फत स्वामी जी महाराज से यह प्रार्थना कर सकूं कि इस वक्त कोरम के ऊपर विशेष ध्यान न देते हुए गणपूर्ति पर जोर न दें तो अच्छा होगा ।

श्री रामेश्वरानन्द : मंत्री महोदया रिवाजी बनना चाह रही हैं लेकिन वैधानिक क्यों नहीं बनना चाहती ?

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. When the quorum is challenged I have to ring the Bell and get the quorum.

श्री यशपाल सिंह : श्रीमन्, इस हाउस का रिवाज यह होना चाहिए कि ऐसे सदस्य जोकि हाउस को रेगुलरली अटेंड करते हैं उन को बोलने के लिए अवश्य समय दिया जाय ।

Mr. Deputy-Speaker: There is quorum now. The hon. Member may proceed.

Shri Shiv Charan Gupta: The other point is, while implementing the Master Plan it is quite necessary that some modifications are allowed by the Delhi Development Authority and by the Government. Steps are being taken now in this Bill to empower the Delhi Development Authority to make certain modifications. Besides that, as you are aware, in the Master Plan no detailed plan of Old Delhi was prepared and it was left for future consideration in what manner the zonal plans should be framed and how the building activities should be allowed. I think it is very desirable that some steps should be taken to notify to the public what are the amendments and what are the modifications so that the people may know in what area what sort of construction is allowed.

Besides that, I find here an additional Section 22A which lays down:

"22-A. Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of section 12, the Authority may, if it is of opinion that it is expedient to do so, undertake to carry out any development of any land which has been transferred to it or placed at its disposal under section 15 or section 22 even if such land is situate in any area which is not a development area."

Now, Sir, at present some area is developed by the Delhi Development Authority after declaring it as a development area and some area is sanctioned by the Corporation for development. If this clause is required in order to remove the difficulties in the matter of road construction or such other minor works I have no objection. But if this clause is going to be utilised by the Delhi Development Authority to take powers for sanctioning development of large chunks of area for development purposes, then I think it will conflict with the authority of the Corporation and there may be some confusion in the actual working. I would, therefore, like the Minister to consider this point also.

I have to mention one or two other points. One is, the Master Plan for Delhi was approved more than a year back. There are about 360 villages and Delhi is an urban place. Unless some concrete steps are taken to prepare the lay-out plans of these villages, whether they are urban or rural villages, and, besides that, the zonal plans are prepared in time, the activity in Delhi is likely to be hampered. Therefore, I would suggest, whereas the Master Plan has been prepared in a record time some definite step has been taken by the Government to have a planned development of Delhi, all the requirements which are provided in the Master Plan should be expedited so that there may not be any delay in the Planned development of Delhi. Unless that is done, the future of these rural and urban villages and also other areas of these rural and urban villages and also other areas becomes dim. I would, therefore, suggest that whereever a plan is prepared the requirements which are provided in the Master Plan should be attended to with the utmost urgency so that the development is carried out according to the provisions of the Plan. If that is not done, there are going to be insurmountable difficulties and unauthorised housing activities and other activities which are not permissible by law will take place.

[Shri Shiv Charan Gupta]

The next point which I come to is that when this Master Plan was prepared there was a provision that there will be a metropolitan area in Delhi. Delhi's present area is about 578 square miles. It was envisaged that for the metropolitan area the area should be about 800 square miles. In this area some area of Uttar Pradesh and some area of Punjab are included. Unless there is development in these adjoining areas also according to the Master Plan and in close co-ordination with the Master Plan of Delhi, the future of Delhi is likely to be jeopardised.

A committee was appointed more than a year back under the distinguished chairmanship of the Home Minister. There were the Chief Ministers of U.P. and Punjab and some Ministers of the Government of India. I am sorry to say that not a single meeting has taken place so far. The result is that the co-ordination which was to be effected, the steps which were to be taken—I do not mean to say that some steps are not being taken by the Government of U.P. and the Government of Punjab—have not come about. The steps taken by the different State Governments are to be co-ordinated and the development is to be co-ordinated along with the development in Delhi. Unless that is done, there is going to be a great difficulty in the implementation of the Master Plan. If the planning and development is not registered then there are going to be very great difficulties in the implementation of the Plan.

Another point is about the functioning of the Delhi Development Authority. The Delhi Development Authority has large chunks of land which were transferred to it long ago. I appreciate, when the country was partitioned in 1947 large number of people, lakhs of people, came from West Pakistan to this side and they encroached upon the land which belonged to the erstwhile Delhi Improvement Trust and now that land has been transferred to the Delhi Development Authority. If you see that land, which is in the centre of the city, in the centre of the built-up area, you will be surprised because virtually no development has taken place so far there. No schemes have so far been prepared and if any scheme has been prepared, no scheme has been put into operation. The result is that the future of these people who number in lakhs is very bad.

Now, Sir, if you see how the damages are being charged, you will find that their cases have not been finalised. Besides this, their arrears run into thousands of rupees Some time ago, we passed here the Public Premises Eviction Act and in that Act there was a provision that if anybody had arrears of rent or arrears of damages, then that person or his heirs will be called upon to pay those damages. These people come from a very low income group. If steps are not taken in time to recover their current dues, huge arrears are bound to be accomodated and there is going to be a lot of difficulty for them. I do not mean to suggest that if there are any Government dues, the Government should not make efforts to realise them. But there should be a proper way of doing it. How are you going to recover thousands of rupees from a person who has hardly Rs. 200 as his asset in his cottage or in his *jhumpri?* These are difficult problems no doubt. I understand them. But at the same time when we are dealing with such people who are illiterate, who are labourers, who are small workers, who are from a very low income group, we must have a practical policy about them. We should not allow matters to hang on indefinitely and then we turn to them and tell them, "Look here, you have to pay a thousand of rupees." I would sugegst that the policy of the Delhi Development Authority regarding these damages is quite unrealistic. It is causing harassment to the people living there who number in lakhs. Therefore, I would urge upon the Health Minister that she may kindly

look into this matter personally and see that as far as this particular problem is concerned, that is attended to with a human approach keeping the practical conditions of these people in view.

With these general remarks, I support this Bill.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल इस सदन में लाया गया है, वह बड़ी नेक-नीयती से लाया गया है, लेकिन नेक-नीयती काम नहीं करती, जब तक कि ज्ञान न हो। **दि वे टु हैल इज़ पावन्ड विद गुड इन्टेन्शन्ज़।** जब तक ज्ञान न हो, तब तक नेक-नीयती काम नहीं करती है।

दिल्ली का मसला इस लिए हल नहीं हो रहा है कि कुछ-एक लोग ऐसे हैं सारी दिल्ली में ५०० ग्रादमी ऐसे हैं, जो दिल्ली के वायु-मंडल को दूषित करते हैं ; जिन लोगों के मकान ग्रालरेडी दिल्ली में हैं, उनको इजाजत नहीं थी कि वे दिल्ली में जमीन खरीद सकें ग्रौर नये मकानात बना सकें। फिर सरकारे-ग्राली ने यह कानून बना दिया कि कम्पनीज, सोसायटीज ग्रौर बैंक्स ज़मीन ख़रीद सकते हैं। इस का नतीजा यह हुग्रा कि उन्हीं ५०० ग्रादमियों ने जमीनों के नाम पर सोसायटियां, कम्पनियां ग्रौर बैंक बनाए ग्रौर दो पये गज़ ज़मीन ख़ीद कर चार सौ रुपये गज़ पर बेंची। जो ज़मीन किसान से चार ग्राने गज़ पर ली गई थी, वह २५० रुपये फ़ी गज़ पर बेची गई। यह मसला तब हल होगा, जबकि उन लोगों की हरकतों पर रोक लगाई जायेगी, जोकि दिल्ली की २६–२७ लाख जनता के जीवन को दूषित करते हैं।

दिल्ली में जब तक यह कानून नहीं बनेगा कि बाहर के ग्रादमी यहां ग्रा कर न बस सकें, तब तक दिल्ली का मसला हल नहीं हो सकता है। बाहर के लोग ग्राते हैं ग्रौर दिल्ली में ग्रा कर बस जाते हैं। वे लोग पहले बसे हुए लोगों के जीवन को ग्रौर भी दूषित करते हैं। यह नहीं कि सिर्फ़ ग़रीब ग्रादमी को इस से नुक्सान होता है, ग्रमीर को उस से भी ज्यादा नुक्सान होता है। जिस शहर की ग्राबादी इतनी घनी हो, जिस शहर में २६–२७ लाख ग्रादमी वसते हैं ग्रौर २६–२७ लाख रोजाना घूमने के लिए, रोजगार ग्रौर व्यापार के लिए ग्राते हैं, उस शहर का वातावरण, उस शहर का वायु-मंडल गन्दा हो जाता है। इसी का नतीजा यह है कि जब ग्राई० सी० एस० ग्राफ़िसर या लखपती ग्रौर करोड़पती के घर, वज़ीर की पोज़ीशन के ग्रादमी के घर, मिनिस्टीरियल रैंक के ग्रादमी के घर, स्पीकर ग्रौर डिपुटी स्पीकर की पोज़ीशन के ग्रादमी के घर दूध पहुंचता है, तो वह ७२ घंटें पुराना हो जाता है, वह तीन दिनों के बाद उन के घर पहुंचता है। जो दूध ग्राज निकलता है, वह ७२ घंटें बाद घर में पहुंचता है। नतीजा यह है कि वह दूध मर जाता हैं, उस के विटामिन ख़त्म हो जाते हैं, दूध की लाश बाकी रह जाती है ग्रौर मिनिस्टर साहब बड़े फ़रमाते पूछते हैं, "बोतल का है न? दिल्ली मिल्क स्कीम का है न ?" उस दूध को इतना दूषित कर दिया जाता है कि ग्राप मेरे साथ चल कर देखें कि उस दूध में कितनी मक्खियों की लाशें, कितनी छिपकलियों की लाशें होती हैं ग्रौर लाने वाले कितना पानी मिला कर उस दूध को बचते हैं। लेकिन ये बातें नहीं देखी जाती हैं। इसलिए जैसाकि मैं ने कहा है, सिर्फ़ ग़रीब का नुक्सान होता है, यह बात नहीं है —ग्रमीर को उस से ज्यादा नुक्सान होता है।

इस मसले के हल तीन हैं। एक हल तो यह है कि जिन लोगों ने सोसायटियां, कम्पनियां ग्रौर बैंक बना कर ज़मीनों को दो रुपया गज़ के हिसाब से ख़रीद कर ४०० रुपये गज़ पर बेचा है, उन से वे ज़मीनें वापस ली जायें ग्रौर मध्य-वित्त लोगों, मिडल क्लास के लोगों, को वे ज़मीनें मार्केट रेट पर दे दी जायें। इस सिलसिले में जो प्राफ़िटियरिंग हुग्रा है, जो मुनाफ़ाखोरी हुई है, उस को ख़त्म किया जाये।

[श्री यशपाल सिंह]

दूसरा हल यह है कि बाहर से माने वाली नई आबादी को खत्म किया जाये—न्यू कमर्ज दिल्ली में न आ सकें । जो लोग बसे हुए हैं, उन के रहन-सहन का इन्तजाम किया जाये । आज हालत यह है कि जो लोग बसे हुए हैं, उन का इन्तजाम नहीं होता है । आप किसी भी देश में चले जाइये, आप इंग्लेंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी या अमरीका में चले जाइये, एम० पीज० को रहने के लिए कहीं भी इस तरह के कबूतरखाने नहीं दिये जाते हैं । अगर किसी एम० पी० के घर दो मेहमान आ जायें, एक गुरु ग्रन्थ साहब पढ़ने वाला और दूसरा हुक्का पीने वाला, तो वे दोनों एक ही कमरे में बन्द रहते हैं । एक गुरु ग्रन्थ साहब पढ़ता है और दूसरा हुक्के का धुआं फेंक कर हमारी पाक किताब को नापाक करता है । सिवाये हिन्दुस्तान के ला-मेकर्ज के लिए ऐसे कबूतरखाने कहीं भी नहीं हैं—न इंग्लैंड और जर्मनी में हैं और न किसी और देश में हैं ।

हमारे कांस्टीट्यूशन में लोगों को न्यूट्रीशस फूड देने का वादा किया गया है—यह कहा गया है कि हर एक को वह फूड दिया जायेगा, जो उस के दिलो-दिमाग को कायम रखे और उस की बुद्धि तथा स्वास्थ्य को बढ़ाए । लेकिन आप को यह सुन कर ताज्जुब होगा कि यहां पर एम० पीज० को पानी नहीं मिलता है । एम० पीज० के क्वार्टरों में सिम्पल वाटर मुश्किल से तीन घंटे सुबह और तीन घंटे शाम मिलता है और बाकी रात और दिन खा जाता है । और फिर कहा जाता है कि दिलो-दिमाग काम नहीं करते हैं, ओरिजिनैलिटी खत्म हो गई है । हम को पानी और राशन कन्ट्रोल से मिलता है ।

अगर यहां से उठ कर ऊपर रिफ्रेशमेंट के लिए, चाय के लिए जायें, तो कोटोजम और डाल्डा का राक्षस सामने मिलता है । मैं समझता हूं कि कम से कम यह काम तो डिपुटी स्पीकर साहब खुद कर सकते हैं । इस में सरकार को पूछने की जरूरत नहीं है । यह जो मन्दिर है, यह जनतंत्र का पवित्र मन्दिर है, बहुत सेक्रिड मन्दिर है । डिपुटी स्पीकर साहब को एथारिटी है, उन को हक़ है कि वह यक-कलम कोटोजम और डाल्डा को बन्द कर दें और यह हुक्म कर दें कि इस मन्दिर में कोटोजम और डाल्डा प्रवेश नहीं कर सकते । आप बतलाइये कि एम०पी० को पानी मिले राशन का और रिफ्रेशमेंट मिले कोटोजम और डाल्डा का, तो क्या वह एम० पी० कुछ वर्क करेगा और उस की ओरिजिनैलिटी रहेगी । हरगिज नहीं रहेगी ।

मेरा सुझाव है कि अगर दिल्ली का डेवेलपमेंट करना है, अगर दिल्ली को विकास की तरफ ले जाना है, तो दिल्ली के लिए तीन कानून बनाए जायें । यहां पर न्यू कमर्ज की एन्ट्री बन्द हो । लोगों ने जो दो रुपये गज जमीन खरीद कर चार चार सौ रुपये गज तक बेची है, वह मुनाफ़ा बा-कायदा किसान को, या सरकार को, स्टेट को वापस किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बिल दिल्ली के डेवेलपमेंट के बारे में है, डाल्डा के बारे में नहीं ।

श्री यशपाल सिंह : श्रीमन्, डाल्डा को बन्द किये बगैर डेवेलपमेंट या विकास हो, यह इम्पासिबल है ।

जो लोग यहां पर बसे हुए हैं, उन का इन्तजाम किया जाये । जो लोग आज उजाड़े जा रहे हैं, उन को उजाड़ने की जरूरत इसलिए पड़ी कि सरकार पहले से इस बारे में होश में नहीं थी । मैं बहुत फ्रैंक्ली और बोल्ड्ली कहना चाहता हूं कि लोगों को उजाड़ने का मसला सरकार की ग़लती से पैदा हुआ । जिस आदमी को पहले नाजायज तरीके से बसने

की इजाजत दी गई, आज सरकार उसे उजाड़ना चाहती है ।

इस समस्या को हल करने के लिए एक काम्प्रिहैंसिव बिल लाना चाहिए । किसी मामूली बिल से यह काम नहीं होने वाला है । आप के द्वारा सरकार से मेरा निवेदन है कि वह इस समस्या को ज्ञान से, विवेक से, बुद्धि से, डिस्क्रीशन से हल करे । यह मसला बगैर बुद्धि के हल नहीं हो सकता है । सरकार भावुकता से, सैन्टीमेंट से यह मसला हल नहीं कर सकती है ।

श्री कछवाय (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का स्वागत करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली का विकास हो, इस में कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं । परन्तु विकास के साथ साथ किन किन बातों का ध्यान रखा जाय, इसको जान लेना बहुत जरूरी है । दिल्ली भारत की राजधानी है और इस नाते यहां पर देश विदेश के सभी प्रकार के यात्री राजधानी के दर्शनों के लिए आते हैं । यहां आने के बाद जब वे सारे शहर में घूमते हैं और सारे शहर की दशा को वे अनेकों स्थानों पर गन्दी बस्तियों को देखते हैं सड़कें जोकि ठीक प्रकार से नहीं बनी हुई हैं, उन को देखते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये दृश्य देख कर उन को जरूर दुःख होता होगा । ये सब चीजें हर एक को यहां देखने को मिलती हैं । उस सम्बन्ध में मेरा इतना कहना है कि आज दिल्ली की आबादी २८ लाख के करीब हो गई है और इस में से करीब सात लाख लोग इन गन्दी बस्तियों में बसे हुए हैं जहां पर न पीने के पानी की व्यवस्था है, रहने के लिए जहां पर ठीक प्रकार के मकान नहीं हैं और जहां पर चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है । साथ ही साथ वहां पर शिक्षा तथा सफाई इत्यादि की व्यवस्था नहीं है ।

जो गन्दी बस्तियां हैं, उन में मैं घूमा हूं । मैंने अपनी आंखों से देखा है कि छोटे छोटे तप्पड़ों के अन्दर एक एक परिवार जिस के अन्दर आठ आठ, दस दस और बारह बारह सदस्य होते हैं, रहते हैं । पच्चीस गज के अन्दर, कच्चे झोंपड़ों के अन्दर इतने अधिक लोग किस तरह से रह पाते हैं, इस का अंदाजा लगाना आसान काम नहीं है । वहां पर उन का जीवन बड़े ही संघर्ष में से हो कर गुजरता है और इस कारण उनके स्वास्थ्य को काफी हानि पहुंचती है । मैं चाहता हूं कि सब से पहले इन लोगों की दशा को सुधारा जाय, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाये । ये वे लोग हैं जिन के कन्धों के ऊपर दिल्ली में यह संसद् भवन, यह राष्ट्रपति भवन, यह विज्ञान भवन, यह अशोका होटल, यह कृषि भवन, यह रेल भवन, यह हवा भवन इत्यादि तमाम बड़े बड़े भवन बने हैं । इन्हीं लोगों का इस में खून पसीना लगा है और इन्हीं की वजह से ये बन पाये हैं

श्री यशपाल सिंह : संगीत कला भवन ।

श्री कछवाय : आज यही वे लोग हैं जोकि ठीक प्रकार से तथा सुखी नजर नहीं आते हैं । इन लोगों का स्वास्थ्य खराब है, इस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ।

आज से कुछ वर्ष पहले हमारे प्रधान मंत्री जी ने इन झुग्गियों को दिल्ली के अन्दर तथा दूसरी जगहों के अन्दर भी देखा था और कहा था कि इन झुग्गी झोंपड़ियों को जला दिया जाए । उस वक्त वह विदेश यात्रा से लौटे थे और ये शब्द उन्होंने कहे थे । ऐसा कहने से उनका आशय यह था कि इस तरह की गन्दी बस्तियां मेरे मुल्क के अन्दर इस तरह की झुग्गी झोंपड़ियां मेरे मुल्क के अन्दर नहीं रहनी चाहियें और इनके स्थान पर अच्छे मकान बनने चाहियें । परन्तु आश्चर्य की बात है कि उनकी इस घोषणा पर अमल नहीं हुआ है । एक ओर तो उन्होंने यह घोषणा की थी कि इनको जला दिया जाए और दूसरी ओर उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसा होटल बनना चाहिये जिसमें विदेशी लोग आकर आराम से ठहर सकें जो कि

[श्री कछवाय]

बनना शुरू भी हो गया और दस महीने के अन्दर अन्दर करोड़ों पयों की लागत से अशोका होटल बन कर तैयार भी हो गया, मगर इतने साल बीत जाने के बाद भी और उनके घोषणा कर देने के बावजूद भी, यह झुग्गी झोंपड़ी वाली समस्या हल नहीं हो पाई। दिल्ली नगर को सुधारने के लिए हजारों की तादाद में झुग्गियां उजाड़ी जाती हैं, तोड़ी जाती है, उन लोगों को वहां से निकाल बाहर किया जाता है लेकिन उसका भी परिणाम यही निकलता है कि जितनी तोड़ते हैं, उससे ज्यादा बनती चली जाती हैं।

हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि ये देहात के लोग यहां आकर बस गये हैं और ये अपने परिवार के लोगों को बुला लेते है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने यह जानने का कभी प्रयत्न किया है कि देहात के लोग यहां आते क्यों हैं? इसका कारण क्या है? इनका यहां आने का मकसद क्या है? देखा जाता है कि देहातों में बेरोजगारी भयंकर रूप धारण करती जा रही है, वहां पर बेरोजगारी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, वहां पर लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, इस कारण वे लोग शहरों की तरफ भागते हैं कि वहां चल कर दो पैसे का धंधा तो मिल जाएगा, वहां पर वे अपना तथा अपने परिवार वालों का पेट तो पाल सकेंगे। इन लोगों के बारे में शासन की धारणा ऐसी होती है कि ये लोग जो कि गन्दी बस्तियों में रहते हैं, ये जुवारी हैं, ये गुण्डे है, ये चोर हैं, ये बदमाश हैं। मैं नहीं कहता कि शासन में जितने भी लोग हैं सभी के मन में धारणा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके मन में यह धारणा है इन लोगों के बारे में। इस किस्म की धारणा बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। ये टैक्सी चलाने वाले लोग, ये रिक्शा चलाने वाले लोग, बड़ी बड़ी इमारतों की नींव के अन्दर रीढ़ की हड्डी बनने वाले लोग, अपना खून पसीना मिलाने वाले लोग, धोबी, नाई, साइकिल रिपेयर करने वाले लोग, मंत्रियों के घरों में बर्तन मांजने वाले लोग, उनके घरों में कपड़े धोने वाले लोग, जिनके कंधों पर सारी दिल्ली का वर्तमान ढांचा बना हुआ है, ये लोग अगर यह सोच लें कि हमें काम नहीं करना तो दिल्ली आपको नजर नहीं आएगी, इसके बजाय आपको यहां पर नरक नजर आएगा। यह बात बिल्कुल साफ है। इस तरह की धारणा इन लोगों के बारे में बनाना बिल्कुल गलत है, यह मेरा कहना है।

उनके स्वास्थ्य का भी ठीक तरह से ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। इन गन्दी बस्तियों के अन्दर कितनी सफाई रखी जाती है, इसको भी देखा जाना चाहिये। पिछली बार दिल्ली की गन्दी बस्तियों में सात लाख रहने वाले लोगों में से करीब करीब तीन लाख लोगों से मैंने सम्पर्क स्थापित किया है। मैं उनके बीच में गया हूं और जिन परिस्थितियों मे वे रह रहे हैं, उसका मैंने निरीक्षण किया है। उनके लिए लैट्रिन्ज की कोई व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। अनेक प्रकार की बीमारियां उन लोगों में घर करती जा रही हैं। टी०बी० तपेदिक इत्यादि बीमारियां बढ़ रही हैं। बच्चे चेचक से पीड़ित हैं। दूसरी भी अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। दो ो आने कमाने वाले, आठ आठ आने या रुपया रुपया रोज़ कमाने वाले लोग किस प्रकार से इन बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं, इसको आप देखें। आश्चर्य होता है कि इस सारी दशा को देखने के बाद भी स्वास्थ्य मंत्राणी जी इस ओर कोई ध्यान नहीं देती हैं। अनेक बार मैंने उनको पत्र लिखे हैं। दुःख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि कुछ पत्रों का तो उनकी ओर से मुझे उत्तर आ गया है और कुछ का नहीं आया है। उस सम्बन्ध में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है।

मैं चाहता हूं कि जब इन लोगों की बस्तियां बनाई जायें, जब इन लोगों को बसाने

का इन्तजाम किया जाए तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि ठीक प्रकार से तथा अच्छी तरह से इन परिवारों के लोग रह सकें । परिवार के बाद परिवार बनते रहते हैं । आपने तय कर लिया है कि हम एक व्यक्ति को एक फ्लैट देंगे । लेकिन इनके साथ साथ आप यह भी देखें कि आठ दस साल के बाद उस व्यक्ति के घर में एक और परिवार बन जाएगा । उसका लड़का भी होगा जिसकी शादी होगी । उसका भी अलग से परिवार बनेगा । इस वास्ते इसका ध्यान रखा जाना चाहिये कि फ्लैट इतना बड़ा हो कि जब दूसरा परिवार हो जाए तो उसके रहने की भी व्यवस्था उसमें हो । कितना बड़ा फ्लैट उसको दिया जाए, इस पर आप गम्भीरता से विचार करें । इन सब बातों पर ठीक प्रकार से विचार करने के बाद ही, मैं चाहता हूं, कि आप कोई निर्णय करें ।

पीने के पानी का जहां तक सम्बन्ध है, मैंने देखा है कि पानी भरने के लिए इतनी भीड़ होती है कि उनके लिए पानी भरना मुश्किल हो जाता है और कितना ही समय उनको इसमें लग जाता है । इन बस्ती वालों को दो दो और तीन तीन मील की दूरी से पानी लाना पड़ता है । जहां इनको पानी ले जाना पड़ता है वहां इतना रश होता है कि आपस में कितने ही लोगों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कितनी ही मारपीट हो जाती है और सब से बड़ी बात यह है कि पुलिस द्वारा भी इनको बहुत सताया जाता है ।

अब मैं एक महत्व की बात आपके सामने रखना चाहता हूं । उनके जीवन के साथ कुछ पैसे वाले लोगों द्वारा खिलवाड़ की जा रही है । बहुत ही गलत धारणायें इनके बारे में फैलाई जा रही हैं । कहा जाता है कि वे सट्टे करते हैं और अवैध रूप से शराब बनाते हैं । मुझे पता है कि एक लाख रुपया महीना कमाने वाले लोगों के इस दिल्ली में ग्यारह अड्डे हैं । एक एक अड्डे पर एक एक लाख रुपया कमाया जाता है । ऐसा क्यों होता है, इसको आप देखें । क्यों पुलिस इस ओर ध्यान नहीं देती है, इसकी भी आप जांच करें । उन लोगों की तरफ से जिनको कमाई होती है, एक लाख में से पच्चीस हजार रुपया तो पुलिस वालों को बांट दिया जाता है, पच्चीस हजार रुपया दलालों को सौंपा जाता है और बाकी का पचास हज़ार रुपया उनकी जेबों में चला जाता है । इन गन्दी बस्तियों में एक एक मर्ज़, एक एक बीमारी दिन-ब-दिन फैलती जाती है । इसके साथ साथ टिंचर की बीमारी शराब की बीमारी भी इनके अन्दर बड़े बड़े लोगों द्वारा फैलाई जा रही है, इनका भी बड़े बड़े लोग धंधा करते फिरते हैं । यह जो बात है, शराब की तथा टिंचर की, इसकी ओर आपका विशेष ध्यान जाना चाहिये । जो अपराधी इस अपराध में पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिये और ज़रा भी ढिलाई नहीं दिखाई जानी चाहिये । जब तक भय नहीं होता है तब तक प्रीत नहीं होती है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब तक भेदभाव दूर नहीं होगा तब तक यह चीज़ ख़त्म नहीं हो पाएगी ।

जो बिल रखा गया है यह पास तो हो ही जाएगा । परन्तु हम विरोधी सदस्यों ने जो विचार आपके सामने रखे हैं, वे घूम फिर कर और स्थिति को अपनी आंखों से देख कर ही रखे हैं और मैं चाहता हूं कि उन पर गम्भीरता से विचार किया जाए । दिल्ली में कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ कारपोरेशन के चपड़ासी लोग भी हैं, जिन्होंने यह धंधा खोल रखा है कि मजदूरी करने वाले लोगों को झोंपड़ी को पच्चीस रुपये पर किराये पर दे देते हैं । इस सम्बन्ध में भी स्वास्थ्य मंत्राणी को ध्यान देना चाहिये ।

मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर दुबारा स्वास्थ्य मंत्राणी ठीक प्रकार से ध्यान देंगी क्योंकि मेरा और उनका कई बार कमेटी में सम्बन्ध आता है । जितना मैं गन्दी बस्तियों के बारे में जानता हूं, शायद और लोग थोड़ा बहुत जानते हों, लेकिन उतना नहीं

[श्री कछवाय]

जानते क्योंकि मैं अखबारों में पढ़ कर नहीं जानता, न औरों से सुन कर जानता हूं। मैं घूम फिर कर और अनुभव के आधार पर अपनी बातों को कहता हूं ।

Mr. Deputy-Speaker The hon. Minister wants this Bill to be finished today. If the House agrees, we may extend the time for Government business by one hour and give two and a half hours for non-official business thereafter.

Shri Hari Vishnu Kamath: How many hours? I did not follow.

Mr. Deputy-Speaker We will first finish this Bill and then take up non-official business.

Shri Hari Vishnu Kamath: The House will sit for one hour beyond?

Mr. Deputy-Speaker: Yes.

Shri Hari Vishnu Kamath: Then it is all right.

Some Hon. Members: Agreed.

Shri C. K. Bhattacharyya (Raiganj): It has been put down in the Foot-note of today's agenda that at 4-45 p.m. the Call Attention Notices will be taken up.

Mr. Deputy-Speaker: Yes.

Shri C. K. Bhattacharyya: Then this may come in....

Shri Hari Vishnu Kamath: Then it will be at 5-45.

Mr. Deputy-Speaker At 5-45.

Shri Hari Vishnu Kamath: Everything will be shifted by one hour.

Mr. Deputy-Speaker The hon. Minister.

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली-करोलबाग): यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र से काफी सम्बन्धित बिल है। इसलिये मैं इस पर बोलना चाहता हूं ।

Mr. Deputy-Speaker: Nobody got up when I looked round.

श्री नवल प्रभाकर : यह दिल्ली के लोगों के लिए बिल आया है, इस पर मुझे अवसर मिलना चाहिये ।

Mr. Deputy-Speaker: I will give him a chance at the Third Reading. It is a non-controversial Bill.

डा० सुशीला नायर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन की बहुत अनुग्रहीत हूं कि उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार करके एक घंटा का समय इस विधेयक के लिये और दे दिया है ताकि इसको आज ही समाप्त कर लिया जाये ।

इस बिल का जब माननीय सदस्यों ने स्वागत किया है तब सामान्यतया उसके साथ कुछ सुझाव भी दिये है । सुझावों के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि जहां तक गन्दी बस्तियों का सवाल है, उन को साफ करना चाहिये, उन में बसने वाले लोगों के लिये सुविधायें पैदा करनी चाहियें, इसमें कोई दो रायें नहीं है । स्वास्थ्य की दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है । हालांकि यह सवाल इतना आसान नहीं है, बड़ा कठिन है, तो भी उस कठिन सवाल को हल करने की पूरी कोशिश की जा रही है । झुग्गी झोंपड़ी के बारे में बहुत सी बातें कही गई । मैं चाहूंगी, बहुत विनयपूर्वक माननीय सदस्यों के सामने सुझाव रक्खूंगी, कि उन में से कुछ लोग किसी वक्त तकलीफ करके मेरे साथ चल कर उस जगह को देखें जहां पर झुग्गी झोंपड़ी वालों को बसाया जा रहा है । नर्क में से निकाल कर उनको एक अच्छी जगह पहुंचाये दे रहे हैं, और सामान्यतया वह वहां जा कर बहुत खुश भी हुए हैं । उनके स्वास्थ्य इत्यादि के बारे में भी सुधार हुए हैं । यही कारण है कि हजारों लोगों को शान्तिपूर्वक झुग्गियों से जिस तरह से उठाया जा चुका है वह नमूने की चीज है । मैंने तो दिल्ली में रिहैबिलिटेशन मंत्री के रूप में काम किया है सन् १९५२ से

१६५५ तक, और मुझे मालूम है कि कितनी कठिनाई आ सकती है किसी को अच्छे मकानों में ले जाने में भी। यहां पर यह काम जिस सुचारू रूप से हुआ है उसके लिये मैं तो इस अवसर को लेकर दिल्ली डेवेलपमेंट अथारिटी और दिल्ली कारपोरेशन दोनों के कर्मचारियों को, जो कि इस काम को करते हैं, बधाई देना चाहती हूं।

हमारे भाई श्री सरजू पाण्डेय जी ने जो बातें कहीं वह बिना थोड़ा सा भी विचार किये हुए कहीं, ऐसा मुझको लगा। उन्होंने कहा कि दस साल से रिफ्यूजी वगैरह आकर बस गये हैं और उनको हम उठा देते हैं, छोड़ देते हैं, उनको परेशान करते हैं। हकीकत यह है कि रिफ्यूजी जो दस दस साल से यहां बैठे हुए हैं उनके लिए सरकार ने पुनर्वास की पूरी योजना बनाई है। । जो दस दस साल से थे वे तो बसाये ही, १६६० तक बैठने वालों को आल्टरनेटिव ऐकोमोडेशन दी। लेकिन वे कई जगह हटते नहीं है। यह कहना ठीक नहीं है कि हमने अनअथाराइज्ड कंस्ट्रक्शन होने दिया। वह उनकी बात ठीक है, सुझाव ठीक है, कि होने नहीं देना चाहिये क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। लेकिन जहां पर इस तरह के लोग स्क्वैटिंग कर के बैठ हुए हैं, उन के बीच में चुपचाप दूसरे लोग भी मकान बना लेते हैं, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जहां से लोगों को नये मकान या नई जगह दे कर उठाया गया, उन के जाते ही दूसरे लोग उनकी जगह आ कर बैठ जाते हैं और वह समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो यह कहना कि अनआथाराइज्ड कंस्ट्रक्शन को रोका जाये लेकिन अगर बन जाय तो उसे तोड़ा न जाय, यह बात कुछ ठीक बनती नहीं है। उस को रोका जाय यह अच्छी बात है और रोकने की कोशिश हो रही है, और मुझे खुशी है यह कहते हुए कि दिल्ली डेवेलपमेंट अथारिटी का जो इलाका है उस में अनआथ-राइज्ड कंट्रक्शन होने न पाये स की तरफ वह काफी तवज्जह दे रहे हैं, और उस में काफी सफलता भी मिली है। लेकिन दूसरी जगह लोग बना ही लेते हैं। तब फिर उस को तोड़ना पड़ता है। नहीं तोड़ेंगे तो क्या करेंगे। जल्दी से जल्दी उस को तोड़ना चाहिये। जल्दी से जल्दी उस का पता लगाना चाहिये। यह बात सही है।

अब श्री सरजू पाण्डेय जी कहते हैं कि उन को डैमेजज नहीं दिये जायेंगे। यह क्या कहने की बात है? अगर पालियामेंट हाउस के सामने कोई आ कर रातों रात झोंपड़ी बना ले और सवेरे पुलिस आये और उन लोगों को उठाये और झोंपड़ी तोड़ दे और वह लोग कहने लगें कि इस में हमारा पांच सौ रु० लगा है, हमें पांच सौ रुपया दिया जाये, तो क्या यह मुनासिब बात होगी?

श्री सरजू पाण्डेय: अनआथाराइज्ड कंस्ट्रक्शन अधिकारियों ने करवाया है। कुछ कांग्रेस मेम्बरों ने पिछली दफे कहा था कि जिन लोगों ने अनआथाराइज्ड कंस्ट्रक्शन करवाया उन्हें दंडित न कर के उन लोगों को दंडित किया जायेगा जिन के मकान बने हैं।

डा० सुशीला नायर: अधिकारियों ने करवाया है, अगर ऐसी कोई स्पष्ट चीज सामने आ जाये तो मैं जरूर जिस अथारिटी के अन्तर्गत वह अधिकारी काम कर रहे हैं उन से उन के खिलाफ एक्शन लेने के लिये कहूंगी। लेकिन अव्वल सवाल यह है कि अन-आथाराइज्ड कंस्ट्रक्शन्स को मालूम किया जाये, उस के बाद उन को जल्दी से जल्दी हटाया जाये। दोनों चीजें आवश्यक हैं। अपने घर के पास ही चार दफे मैं ने गुजरते गुजरते देखा कि वहां पर एक गोल चक्कर है वहां पर एक झोंपड़ी सी बना कर एक आदमी चाय ले कर बैठ जाता है। मैं ने चार पांच दफे टेलिफोन कर के कहा है कि उसे निकालो। एक दिन निकाल दिया जाता है और दूसरे तीसरे दिन वह वहां पर फिर आ

[डा० सुशीला नायर]

कर बैठ जाता है, हालांकि उसे मालूम है कि उसे वहां नहीं आना चाहिये ।

सरजू पाण्डेय जी कहते हैं कि छावड़ी वाले को, सब्जी वाले को, केले वाले को, पुलिस ने क्यों हटा दिया । छावड़ियों में लोग नंगी खाने पीने की चीजें बेचते हैं । माननीय सदस्य यह तो मानेंगे कि अगर उन को हटाया गया तो वह तो करने वाली चीज थी स्वास्थ्य की दृष्टि से जिस से कालरा न हो, टाईफाइड न हो, नाना प्रकार के रोग न हों । इस वास्ते खाने पीने की चीजें गन्दी स्थिति में न बिकें यह आवश्यक है । अगर हम उन को उठाते हैं तो क्या अन्याय करते हैं ? आप यह कह सकते हैं कि उन लोगों को रोटी मिलनी बन्द हो जायगी । इस में हमारी तो दो राय नहीं है कि गरीब के लिये रोटी कमाने के साधन होने चाहियें । लेकिन उस का रास्ता ऐसा होना चाहिये जिस में कि जनता का स्वास्थ्य खतरे में न पड़े और वह अच्छी तरह से बैठ कर अपनी रोटी कमाने की कोशिश करे । चूंकि छावड़ी वाले दूसरों को खतरे में डालते हैं । इस लिये हम उस का विरोध करते हैं और उस को हटाने की कोशिश कर रहे हैं । स्वास्थ्य के विषय में भी कुछ तालीम लोगों को दी जाये । हेल्थ ट्रेनिंग ठीक हो, यह भी आवश्यक है, और उस की तरफ भी हम तवज्जह दे रहे हैं ।

यह कहा गया कि बैटरमेंट फी रखने की जो बात कही गई है वह बड़े अन्याय की बात है । मैं बहुत अदब से कहूंगी कि एक तरफ तो माननीय सदस्य यह कहते हैं कि प्राफिटिअरिंग न हो दूसरी तरफ से लाखों करोड़ों रुपये लगा कर सरकार ने बहुत अच्छा डेवेलपमेंट किया, और उस के पास में कोई बड़े पैसे वाले लोगों ने कुछ जमीन ले कर रक्खी हुई थी । उस के दाम बढ़ गये । अगर उस के दाम बढ़ गये तो वह कुछ थोड़ा बोझा बर्दाश्त करे । उस के बढ़े दाम में से अगर उस से जनता की तिजोरी में कुछ डालने के लिये कहा जाय तो यह कौन से अन्याय की बात है, कौन सी बुरी बात है इस में । किस तरह से यह बैटरमेंट लेवी लगाई जायेगी, उस के लिये कानून बनाये जायेंगे । नियमों के मुताबिक वह लगेगी । किसी पर मनमानी कर के वह नहीं लगाई जा सकती । आखिर यह बहुत जागरूक नगरी है । यहां पर सारे देश के चुने हुए नुमाइन्दे बैठे हुए हैं । भारतीय पार्लियामेंट बैठी हुई है । इस लिये यहां कोई अन्यायपूर्ण नहीं हो सकती, यह मैं विनयपूर्वक कहना चाहती हूं ।

फिर श्री शिवचरण जी ने कहा कि एक कमेटी बनायी थी और उसमें मुख्य मंत्री आदि बड़े बड़े लोग थे, लेकिन उसके द्वारा मेट्रोपोलिटन एरिया का जो कोआरडिनेशन होना था वह नहीं हुआ । उसमें बात यह थी कि एक स्टैट्यूटरी कमेटी बनायी जाए जो कि कोआरडिनेशन का काम करे । चुनांचे एक कोआरडिनेशन कमेटी बनायी गयी गाजियाबाद की तरफ के लिए और एक पंजाब की तरफ, और इसी हफ्ते मेरे ज्वाइंट सेक्रेटरी लखनऊ जा रहे हैं गाजियाबाद की डेवलपमेंट आथारिटी की मीटिंग में भाग लेने के लिए और साथ बैठ कर यह सारा काम हो रहा है ताकि कोआरडिनेटेड तरीके से डेवेलपमेंट हो । उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है, यह काम आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा । आज ही सवेरे के पेपर्स में था कि फरीदाबाद को एक सैटलाइट टाउन के रूप में डेवेलप करने का निश्चय पंजाब सरकार ने किया है :

यह भी कहा गया कि डी० डी० ए० को जो जमीन मिली थी विरासत में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से, उसके जो डमेजज आदि के पैसे उसके पास इकट्ठा हो गए हैं वह उनके साथ ही साथ वसूल करने चाहिए, नहीं तो उनको देना कठिन हो जाता है । इसके लिए कोशिश तो होती है, लेकिन कितना कठिन है ऐसे लोगों से पैसा लेना यह माननीय सदस्य भी जानते हैं और

आप भी जानते हैं। उन लोगों को बसाने के क्या काम हो सकता। वही स्कीम जो बसाने के लिए चल रही है उसके तहत हजारों लोगों को उठाया जा चुका है, बाकी को भी उठाया जाएगा, लेकिन शहर के भीतर काम करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन वह काम हो रहा है।

जो जामा मस्जिद के गिर्द एरिया है उसको डेवेलप करने के लिए जब मैं दिल्ली की स्वास्थ्य मंत्री और पुनर्वास मंत्री थी तो बहुत कोशिश की। उस वक्त कोई हमारी बात सुनता न था। लेकिन मैं डी० डी० ए० को बधाई दूंगी कि उन्होंने लोगों को समझा कर एसी सुन्दर योजना बनायी है कि आज लोग पूछते हैं कि इस योजना को कार्यान्वित कब किया जाएगा। हो सकता है कि हम शीघ्र ही इस योजना को कार्यान्वित करें और दिल्ली के जो दूसरे कार्य हैं उनको भी आगे बढ़ायेंगे।

श्री यशपाल सिंह जी ने कहा कि ज्ञान और नीयत दो अलग अलग चीजें हैं। मैं स्वीकार करती हूं, पर उसके साथ ही साथ मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि उसी प्रकार से ज्ञान और भावना दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत से भाषण भावना में आ कर किए जाते हैं, ज्ञान के ऊपर आधारित नहीं होते। तो मैं विनयपूर्वक कहूंगी कि अगर माननीय सदस्य कुछ थोड़ा सा समय दें और अगर वे कुछ और जानकारी हासिल करना चाहें तो मैं उनको दिल्ली में और बाहर घुमा कर दिखाऊं डी० डी० ए० ने क्या काम किया है। मैं चाहूंगी कि वह अपनी आंखों से देखें कि क्या क्या योजनाएं चल रही हैं और क्या कार्य हो रहा है। मुझे यकीन है कि वह उसे देख कर खुश होंगे और अगर वह कोई मुनासिब सुझाव देंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे।

फिर कहा जाता है कि गन्दी बस्तियों में पानी की तकलीफ है और वहां बच्चों की तालीम का कोई इन्तिज़ाम नहीं है। इन बातों से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि यह तकलीफें दूर होनी चाहिए। आज सवेरे ही हमने कारपोरेशन के साथ एक मीटिंग की इसलिए कि अगले गरमी के मौसम के आने से पहले एसा इन्तिजाम हो जाए कि पीने के पानी के लिए हाहाकार न मचे। हमने विचार किया कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और इस बारे में हम ने कुछ फैसले भी किए हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जो ये तकलीफें हो रही हैं उनको जल्द से जल्द रफा किया जाए। इतना ही मैं कहना चाहती हूं।

यह भी कहा गया कि इस बिल के ज़रिए आप कारपोरेशन के अलावा एक नई अथारिटी क्यों कायम कर रहे हैं। हम नई चीज नहीं खड़ी कर रहे हैं। नई चीज तो सन् १९५७ में इस पार्लियामेंट ने खड़ी की थी। उस के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए हम कुछ संशोधन सदन के सामने लाए हैं, और मुझे आशा है कि सदन उन्हें स्वीकार करेगा।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill to amend the Delhi Development Act, 1957, be taken into consideration".

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3—**(Amendment of section 3)**

Shri Shiv Charan Gupta: I beg to move:

Page 2, line 15—*add at the end*—

'and for the words "two representatives", the words "three representatives" shall be substituted' (1).

There is a consequential amendment on account of this. If the hon. Minister accepts this amendment, I

[Shri Shiv Charan Gupta]

would request you to allow me to move it.

Mr. Deputy-Speaker: There is no other amendment before me. Unless the hon. Minister accept it, I cannot allow it. Is the hon. Minister accepting this amendment?

Dr. Sushila Nayar: His amendment is that instead of two representatives of the Delhi Advisory Committee there be three representatives. As we are incrasing the number of officials from two to three, he wants that the number of non-officials also should be increased from two to three. I have no objection to accept it.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"Page 2, line 15,—*add* at the end—

'and for the words "two representatives", the words "three representatives" shall be substituted'" (1)

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 3, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clauses 4 to 6 were added to the Bill.

Mr. Deputy-Speaker: Is he moving his amendment to clause 7?

Shri Shiv Charan Gupta: No, Sir

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clauses 7 to 30 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 7 to 30 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Dr. Sushila Nayar: I move:

"That the Bill, as amended, be passed".

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That the Bill, as amended, be passed".

श्री नवल प्रभाकर : उपाध्यक्ष महोदय, जो डमेजेज चार्ज करने के बारे में कहा गया है मैं उसी के बारे में अपना दृष्टिकोण सदन के सामने रखूंगा ।

डेमेजज़ चार्ज के सम्बन्ध में ऐसा कहा गया है कि जब १९४७ में लोग आए और दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन को घेरकर बैठ गए, तो उसके बाद ही उनके ऊपर डमेजेज़ चार्ज लगाया गया । मुझ मालूम है कि जो बेचारे दयनीय अवस्था में थे, बहुत निर्धन थे, जिनके पास कोई आमदनी नहीं थी, उन के ऊपर पहले तो डमेजेज नहीं लगाए गए । उसके बाद पांच सात बरस जब गुजर गए तो डेमेजज़ चार्ज उन पर लगाए गए और उनको एक बड़ी रकम डेमेजज़ की देने को कहा गया । इस पर उन लोगों ने सदस्यों के दरवाजे खटखटाए और उन्होंने बतलाया कि उनकी क्या हालत है और क्या अवस्था है । एक झोंपड़ी जो बनी हुई है और जिस पर दो सौ या तीन सौ रुपया लगा है, उसके लिए ७०० या ८०० या १००० रुपया डैमेजज़ चार्ज का मांगा जाता है ।

पहले इस काम के लिए रीगल बिल्डिग में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का दफ्तर था । उसके बाद डी० डी० ए० ने दो साहब वहां बिठा दए हैं । वह लोगों को बुलाते हैं और सुबह से शाम तक बिठा कर परेशान करते हैं, उनको धमकाते हैं और कहते हैं कि तुमको तहसीलदार के सुपुर्द कर देंगे, और तुम्हारे खिलाफ यह किया जाएगा, वह किया जाएगा । मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जो जगह उन्होंने घेरी हुई है और जितना उसके ऊपर उन्होंने कांस्ट्रक्शन किया हुआ है, उससे कितने ही गुना डैमेजज

चार्ज लिया जा चुका है और लेते हैं । और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक बार यह कहेंगे कि ५० वर्ग गज जमीन तुम ने घेरी हुई है । अगर वह आदमी रिप्रजेंटेशन करता है तो कहेंगे कि तुम ने ६० वर्ग गज जमीन घेरी हुई है, और अगर फिर भी रिप्रेजेंट करता है तो कहेंगे कि तुम ने ८० वर्ग गज जमीन घेर रखी है और उसके हिसाब से डैमेजेज़ चार्ज देना है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेज़ दिल्ली डेवलपमेंट ऐथारिटी को दिये हैं । मैं एक बार स्वयं गया । मैं दिल्ली डेवलपमेंट ऐथारिटी के सेक्रेटरी से मिला । उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूं । मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । मैंने कहा कि आप इसके सेक्रेटरी हैं, आप बतला दीजिये कि मैं किस के पास जाऊं तो उन्होंने कहा कि मुझे इसका भी पता नहीं है बहरहाल जिनके दस्तख़त से नोटिस आया हो उनके पास जाइये । जिनके उस पर दस्तख़त थे उनको मैंने टेलीफ़ोन किया । उन्होंने जवाब दिया कि मेरा काम तो सिर्फ नोटिस देना है । नोटिस देने के अलावा दूसरा मेरा कोई काम नहीं है इसलिए मुझे मालूम नहीं है कि किस के पास आप जायें । आखिरकार इस तरह से १० जगह घूमने के बाद मुझे मालूम हुआ कि इस काम के लिए दो साहब बैठाये हुए हैं । वे कहते हैं कि हमें तो जुडिशिएल अधिकार है इसलिए आप हमसे इस बारे में मत बात करिये ।

एक मामले में मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि दिल्ली डेवलपमेंट ऐथारिटी ने एक ज़मीन के लिए ४० हज़ार रुपये डैमेजेज़ चार्जेज लगाये हैं । ४० हज़ार रुपया डैमेजेज़ चार्जेज़ का उस ज़मीन पर उन्होंने लगाया और वह उस आदमी ने दे दिया । लेकिन उसको देने के बाद भी यह आशा नहीं है कि उसे वहां बैठने की पूरी पूरी इजाज़त दी जाएगी । इसलिए मैं मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि वह ग़रीब आदमी जिनकी कि झोंपड़ी है और उस झोंपड़ी पर उन्होंने ५०, १००, २०० या ३०० रुपया लगाया है, आप कृपा करके यह तो देखिये, अपने अधिकारियों को बुला कर दिखावें कि उस झोंपड़ी की कितनी क़ीमत है और उस बैठने वाले की हैसियत क्या है और फिर यह अंदाज़ा लगाइये कि उस पर अब तक कितने डैमेजेज़ चार्जेज़ लगाये हैं और कितने डैमेजेज़ चार्जेज़ उसको अभी और देने बाक़ी हैं ? मैं मंत्री महोदया से बहुत ही विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां रीगल बिल्डिंग में बैठ जाते हैं और इस तरह की धमकियां दी जाती हैं, बात नहीं करते और वह ग़रीब हाथ जोड़ता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है और उस को कभी तहसीलदार के सुपुर्द करने, कभी पुलिस के सुपुर्द करने और कभी जेलखाने भेजने की जो बात की जाती है, आप उस को देखिये और इस बात को भी ज़रूर देखिये कि जितने डैमेजेज़ चार्जेज़ उस से वसूल किये गये हैं, क्या उसकी हैसियत इतनी थी और जितना अभी उसके ऊपर और चढ़ा हुआ है क्या उतनी हैसियत उस की है ? मैं चाहता हूं कि इन सारी चीज़ों को देख कर मंत्री महोदया निर्णय करें ।

मेरा एक निवेदन यह भी है कि दिल्ली के जो संसद् के सदस्य हैं और जो कारपोरेशन के सदस्य हैं, जोकि उस इलाक़े में आते हैं, उन की आप एक कमेटी बना दीजिये और उन अधिकारियों को भी बिठा दीजिये और फिर वे दोनों देखें कि आया वह इस क़ाबिल है या नहीं । मैं यह चाहूंगा कि उस का आप निर्णय करें और इंसाफ़ करें ।

श्री कछवाय (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदया अपने जवाब में यह बतलायें कि उन्होंने जो यह कहा है कि गंदी बस्तियों की समस्या जल्द हल हो जायगी तो स्वास्थ्य, सफाई, पानी, शिक्षा और चिकित्सा आदि की व्यवस्थाएं कब तक ठीक

[श्री कछवाय

प्रकार सुलभ जायेंगी ? यह तमाम आवश्यक सुविधायें लोगों को कब तक सुलभ हो जायेंगी, दो साल, चार साल अथवा आठ साल, कब तक मिल जायेंगी, इस को वह थोड़ा अवश्य बतला दें ।

डा० सुशीला नायर : मैंने यह तो कहा नहीं कि सारी गंदी बस्तियों की समस्या जल्दी से हल हो जायगी । मैंने तो कहा है कि गंदी बस्तियों की समस्या हल होनी चाहिए इस में कोई दो रायें नहीं हैं और हम जल्द से जल्द उस को हल करने की कोशिश कर रहे हैं । अब मेरे लिए यह तो मुमकिन नहीं है कि मैं आप को कोई जवाब दे सकूं क्योंकि इस सारे सवाल के साथ कई पेचीदा सवालात बंधे हुए हैं ।

जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो अनऐथोराइज्ड तरीक़े से बैठे हुए हैं, कई कई सालों से बैठे हुए हैं, उन को कहां ले जायेंगे और क्या करेंगे, यह कोई आसान बात नहीं है । मैं इतना ही कह सकती हूं कि इन इलाक़ों में बैठे हुए लोगों के लिए पानी, सैनिटेशन और स्वास्थ्य आदि के लिए और सारी दिल्ली की जनता के लिए इन तमाम आवश्यक सुविधाओं का इंतज़ाम करने की हम लोग इस वक्त कोशिश कर रहे हैं । कई प्रकार की बीमारियों की रोकथाम के लिए भी हम लोग पूरी मेहनत के साथ कोशिश कर रहे हैं ।

अभी श्री नवल प्रभाकर ने जो भाषण किया वह फिर उसी चीज़ का नमूना था अर्थात् वह भावना से भरा हुआ था वह ज्ञान के ऊपर आधारित नहीं था . . . .

श्री नवल प्रभाकर : मैंने पूरी जानकारी के आधार पर ही वह सब कहा है ।

डा० सुशीला नायर : मैंने बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुना । उन का यह कहना है कि कोई आदमी ४० हज़ार डैमेजेज़ के दे चुका है इसलिए उसको आश्वासन होना चाहिए कि वह वहां पर बैठा रह सकेगा । क्या अजीब बात है और क्या अजीब लौजिक है ? डैमेजेज का मतलब है कि कोई अनऐथोराइज्ड आकुपेशन कर के बैठा है उस को वहां से हटाना है लेकिन जितने दिन तक वह बैठा हुआ है उतने दिन का कम से कम वह डैमेजेज चार्जेज देता है । उसको किराया नहीं कहा गया है । वह डैमेजेज देता है । अब डैमेजेज़ देने वाले को कभी यह आश्वासन नहीं हो सकता है कि वह वहां पर हमेशा बैठा रह सकेगा । माननीय सदस्य को यह बात समझ लेनी चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि वह कहते हैं कि उनकी ताक़त कितनी है और डैमेजेज़ चार्जेज़ कितने हैं । एक सीधी सादी बात है कि डैमेजेज़ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने तय किये थे । वह इतने कम रेट्स के हैं कि उससे कम रेट के हो नहीं सकते थे । लेकिन सालों साल उस को अनऐथोराइज्ड आकुपैंट्स ने अदा नहीं किया । अब अगर ५ रुपया भी हर महीना अदा नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है कि साल में वह साठ रुपये हो जायेंगे और इस तरह से कुछ अर्सा और बीत जाने में वह पैसा कितना बढ़ जायेगा यह आप खुद समझ सकते हैं । न अदायगी की वजह से यह सारे ऐरियर्स इकट्ठे हुए हैं उन लोगों पर जोकि सालों साल से वहां पर बैठे हुए हैं और जिन ऐरियर्स को कि डी० डी० ए० ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से विरासत में पाया है । अब उनको वहां से हटा कर दूसरी जगहों पर बसाने की कोशिश हो रही है । जैसा मैंने कहा बहुत से लोग चले भी गये हैं तथा और लोग भी चले जायेंगे । डी० डी० ए० यह काम अधिक सुचारू रूप से चला सके उसके लिए मैं चंद एक तजवीजें इस सदन् के सामने लायी हूं और मुझे आशा है कि सदन् इस बिल को पास कर देगा ।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed.".

The motion was adopted.

14.58 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

THIRTY-FIRST REPORT

Shri Hem Raj (Kangra): Sir, I beg to move:

"That this House agrees with the Thirty-first Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 18th December, 1963".

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Thirty-first Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 18th December, 1963".

The motion was adopted.

Shri Hari Vishnu Kamath: The Report having been adopted, I only wish to move that the time for the Bill mentioned in that report—Bill for the disclosure of Assets of Ministers—may be extended.

Mr. Deputy-Speaker: We have not yet taken up that Bill.

14.59 hrs.

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL*—(*Amendment of sections 3 and 6*)

श्री प० ला० बारूपाल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते ऐक्ट, १९५४ में आगे संशोधन करने वाले बिल को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954".

The motion was adopted.

श्री प० ला० बारूपाल : मैं यह बिल पेश करता हूं ।

HINDU MARRIAGE (AMENDMENT) BILL—(*Amendment of section 5*).*

श्री प० ला० बारूपाल : मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दू विवाह ऐक्ट, १९५५ में आगे संशोधन करने वाले बिल को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Hindu Marriage Act, 1955".

The motion was adopted.

श्री प० ला० बारूपाल : मैं यह बिल प्रस्तुत करता हूं ।

15 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—(*Amendment of articles 84 and 173*).

Shri Hari Vishnu Kamath: Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

---

*Published in the Gazette of India Extraordinary, Pt. II, Section 2, Dated 20-12-63.